अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 5–55/2012–13

इन्दु देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अन्दर वाद संख्या 113/11–12 में दिनांक 23.03.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 05/2012 दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

यह अपीलवाद बाल विकास परियोजना सोनवर्षा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खजुराहा, ऑगनबाड़ी केन्द्र–गढ़बाजार, केन्द्र संख्या–146 से संबंधित है ।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत ऑगनवाड़ी अपीलवाद के संक्षिप्त में मामला यह है कि मोनिका रानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा सोनवर्षा परियोजना अन्तर्गत खजुराहा पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र –गढ़बाजार, केन्द्र संख्या –146 की जॉच की गई । ऑगनबाड़ी केन्द्र जॉच में केन्द्र संचालन में निम्नलिखित त्रुटियॉ /अनियमितताएँ पायी गई :–

1. ऑगनबाड़ी सेविका अनुपस्थित एवं सहायिका उपस्थित पायी गई ।
2. सेविका एवं सहायिका की मिली भगत से केन्द्र की स्थिति खराब पायी गयी
3. पोषाहार राशि अप्राप्त रहने के कारण टी0एच0आर0 वितरण नहीं किया गया ।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका एवं

सहायिका के विरूद्ध, बरती गई अनियमितता के लिए कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई ।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनवर्षा द्वारा सोनवर्षा परियोजना अन्तर्गत पंचायत– खजुराहा ऑगनबाड़ी केन्द्र– गढ़बाजार, केन्द्र संख्या–146, में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता /त्रुटियॉ पायी जाने की स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के ज्ञापांक 271–1 दिनांक 21.02.2012 द्वारा उक्त केन्द्र के ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती इन्दु देवी को स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा निर्धारित सुनवाई की तिथि 02.03.2012 के 11.00 बजे पूर्वाहन् में उपस्थित होने का नोटिश दिया गया ।

निम्न न्यायालय में दिनांक 02.03.2012 को सुनवाई की गई। सुनवाई के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा एवं ऑगनबाड़ी सेविका उपस्थित हुई । ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमाती इन्दु देवी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई । निम्न न्यायालय में अपीलार्थी का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाकर अस्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 456–1 दिनांक 23.03.12 द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती इन्दु देवी को चयनमुक्त किया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बतलाते है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते है कि विज्ञ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा उक्त संबंधित वाद का आदेश पारित करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया। टी0 एच0 आर0 वितरण हेतु प्रत्येक माह के 15 वीं तिथि को निर्धारित किया गया था। इसी के अनुसार टी0 एच0 आर0 वितरण हेतु दिनांक 15.12.11 की तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु टी0 एच0 आर0 की राशि दिनांक 13.12.11 एवं 14.12.11 को बैंक को प्राप्त हुयी परन्तु बैंक द्वारा उक्त राशि ससमय विमुक्त नहीं की गई जो कि इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि किसी भी स्थानीय केन्द्र को दिनांक 14.12.11 एवं 15.12.11 तक प्राप्त राशि विमुक्त नहीं की गयी जिसके कारण स्थानीय केन्द्रों द्वारा दिनांक 15.12.11 को वितरण नहीं किया जा सका इस विन्दु पर भी विज्ञ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया । उपरोक्त तथ्य के सत्यापन हेतु अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में संबंधित बैंक खाता के पास बुक की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गयी थी जिसपर कोई विचार नहीं किया गया। दिनांक 15.12.11 को टी0 एच0 आर0 वितरण नहीं किए जाने के आधार पर ही अपीलार्थी का चयन रद्द किया गया है यदि इस विन्दु की सम्यक जॉच की जाती तो इस आधार पर स्थानीय केन्द्रों के सभी सेविकाओं का चयन रद्द किया जाना चाहिए थी चूँकि संबंधित राशि बैंक द्वारा दिनांक 15.12.11 एवं 16.12.11 को विमुक्त की गयी जिसके कारण टी0 एच0 आर0 का ससमय वितरण नहीं किया जा सका परन्तु अन्य पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी केवल अपीलार्थी के विरूद्ध ही कार्रवाई की गयी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त/अपास्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।

सरकारी अधिवक्ता सरकार के पक्ष में बहस करते हैं तथा निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया तथा पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा वाद से संबंधित महत्वपूर्ण विन्दुओं पर सम्यक विचार नहीं किया गया है। अस्तु अपीलार्थी के अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। इसी के साथ अपील वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

10/4/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

10/4/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।